

1-12A



KENDRIYA VIDYALAYA (BAILADILA) AT DANTEWADA

Near Govt. Higher Sec. School, Dantewada (C.G.)-494449

केन्द्रीय विद्यालय (बैलाडिला) दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

शासकीय माध्यमिक विद्यालय के पास, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)-४९४४४९

Website: kvdantewada.com, e-mail:kvdantewada@gmail.com

Phone No. 07856-(o) 252549 (fax)252879 (r) 202336

F. 221552/1-12/2008-KVDNT/ 128-29

Date: 21-05-2009
Speed Post

To

Sh. K.K. Ahuja,
Executive Engineer,
Kendriya Vidyalaya Sangathan,
18, Institutional Area,
Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016.

Sub: Transfer of Land of KV Dantewada (Bailadila) C.G.-reg.

Sir,

I am to invite your kind attention to your letter No. F. 110111/29/2006/KVS/Hq./Works dated 13-05-2009 on the subject mentioned above and to enclose herewith copy of transfer/possession of School Building and Staff Quarters issued from the District Administration, for further action at your end.

Yours faithfully,


(Dr. Y. D. Reddy)
Offg. Principal

Encl: As above.

Copy to the Assistant Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, GCF Estate, Jabalpur (M.P.)-482011 for information along with a copy of aforesaid transfer/possession of School Building and Staff Quarters issued from the District Administration.


(Dr. Y. D. Reddy)
Offg. Principal



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

-: आदेश :-

क्रमांक २।अ-२०(१)।०४-०५ दन्तेवाड़ा, दिनांक ०४ फरवरी, २००५

प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय दन्तेवाड़ा (केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली) द्वारा ग्राम-चित्तौलका तहसील दन्तेवाड़ा स्थित शासकीय भूमि सं.नं. २०९ रकबा १-५५ हे.में से रकबा १-०० हेक्टर की शिक्षाकीय (कर्मचारी) आवास गृह निर्माण हेतु मांग किये जाने पर शासन द्वारा भूमि हस्तान्तरण आदेश को प्रत्याशा में निम्न शर्तों पर अग्रिम आधिपत्य सौंप जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शर्त :-

- १- केन्द्रीय विद्यालय, संस्था द्वारा निहित सहमति दी जानी होगी कि विद्यालय के शिक्षाकीय (कर्मचारी) आवास गृह निर्माण कार्य में अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिये भूमि उपयोग में नहीं लाई जावेगी।
- २- शासन द्वारा अंतिम आदेश में निर्धारित प्रत्येक एबं भू-भाटक रकबा तथा शर्त संस्था को मान्य होगी।
- ३- भूमि में स्थित विभिन्न प्रजाति के छोटे-बड़े वृक्ष जो हड़े हैं, उनमें किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी।



(के.आर. पिरदा)
कलेक्टर,
जिला दक्षिण बस्तर
दन्तेवाड़ा.

क्रमांक २।अ-२०(१)।०४-०५ दन्तेवाड़ा, दिनांक ०४ फरवरी, २००५


प्रतिलिपि :-

- १- अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) दन्तेवाड़ा को मूल प्रकरण सहित अग्रेषित। वे कुम्भार भूमि का अग्रिम आधिपत्य संस्था को सौंप कर प्रकरण सुव्यवस्थित कर शासन आदेश हेतु तत्काल बापस भेजें।
- २- प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, दन्तेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा को सूचनार्थ एबं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- ३- तहसीलदार, दन्तेवाड़ा को सूचनार्थ एबं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(के.आर. पिरदा)
कलेक्टर,
जिला दक्षिण बस्तर
दन्तेवाड़ा.

श्री: आग्रिम आधिपत्य प्रमाण पत्र: -

ग्राम चितालंका प080नं0-1300 ब0 तहसील दन्तेवाड़ा
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 128/2
रकबा 3.5/1.5 से रकबा 3.0/1.0 को श्रीमान कलेक्टर महोदय दक्षिण
बस्तर दन्तेवाड़ा द्वारा अपने न्यायालय के रा0प्र0/0/0/अ-2001/2004-
2005 में पारित आदेश दिनांक 04.2.2005 के अनुसार प्राचार्य केन्द्रीय
विद्यालय दन्तेवाड़ा को आग्रिम आधिपत्य में सौंपने का आदेश प्रदान किया
गया। तद्नुसार आज दिनांक 8.2.2005 को उक्त भूमि का आग्रिम -
आधिपत्य आवेदक विभाग को सौंपा गया।



(J.S. Dixit)
आधिपत्य प्राप्त करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर एवं
मुहर **प्राचार्य (प्रभारी)**
केन्द्रीय विद्यालय बैलाडिला
हायर सैकेन्द्री रोड,
दन्तेवाड़ा (छ. प्र.) पिन-494448

(A)
आधिपत्य **तहसिलदार** अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं मुहर
दन्तेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर